

फार्म-सैतालीस
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम-70 के उपनियम-4 को देखें)

हकदारी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं, जिसे निरसित अधिनियम के अंतर्गत करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा, निर्धारित अवधि एवं निर्धारित धनराशि जो पहले समाप्त हो, को निम्न प्रकार से वापसी की हकदार होंगे

सं० दिनांक.....

1-	औद्योगिक इकाई का नाम व पता -																
2-	करदाता पहचान संख्या [टिन]																
	करकटौती संख्या [टी०डी०एन०]																
	सेवा प्रदायी संख्या [एस०पी०एन०]																
3-	विवरण	पता															
क-	व्यापार का मुख्य स्थान																
ख-	निर्माण स्थल	1-															
		2-															
		3-															
4-	वस्तुओं का विवरण																
	क्र०सं०	निर्मित वस्तुओं का विवरण	ई०आई०टी०सी० के लिए कय की गयी वस्तुओं का नाम														
	i																
	ii																
	iii																
	iv																
	v																
	vi																
	vii																
	viii																
	ix																
	x																
5-	हकदारी की अवधि	01.01.2008 से	तक														
6-	हकदारी वापसी की धनराशि																

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ०प्र०